न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 02/2024
दायर दिनांक : 06/02/2024
निर्णय दिनांक : 13/10/2025

उनवान

1. रतनलाल पिता उदा मेघवाल निवासी उदाखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर — प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, भूपालसागर
2. अजय पिता भगा मेघवाल निवासी उदाखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर
3. गंगा पत्नी भगा मेघवाल निवासी उदाखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर — अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री नन्दकिशोर चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का मुरला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में मुझ प्रार्थी के पिता की संयुक्त शामलाती आराजियात स्थित है जिसके खाता सं. 43 से दर्ज आ.सं. 153 रकबा 0.24 है., आ.सं. 154 रकबा 0.21 है., आ.सं. 159 रकबा 0.18 है. किता 3 रकबा 0.63 है. स्थित है जो मुझ प्रार्थी के संयुक्त मौरूसी मिल्कीयत की होकर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं और प्रार्थी के पिता उदा पिता गोदा मेघवाल की मृत्यु दिनांक 06.04.1998 को हो चुकी है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर एक में वर्णित आराजियात में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम उदा पुत्र मोडा जाति जटिया सा. उदाखेड़ा खातेदार दर्ज है। मुझ प्रार्थी के पिता का नाम उदा पुत्र मोड़ा जाति जटिया सा. उदाख़ेडा खातेदार दर्ज है और साबिक जमाबंदी सम्वत् 2035–38 में उदा पिता गोदा दर्ज है इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्त कर उदा पुत्र मोड़ा जाति जटिया सा. उदाखेड़ा खातेदार दर्ज है के बजाय उदा पुत्र गोदा मेघवाल सा. उदाखेड़ा खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है वजह सबूत में आधार कार्ड, हाल जमाबंदी, साबिक जमाबंदी व ग्राम पंचायत ढूंढिया का प्रमाण पत्र की नकले प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। दिनांक 24.01.2024 को राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी लेने से नाम गलत इन्द्राज की जानकारी होने से बिनाय प्रार्थना पत्र उक्त दिनांक को पैदा होकर निरन्तर जारी है। तहसीलदार साहब भूमिधारी होने से प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं व सहखातेदार भगा पिता रामा मेघवाल की मृत्यु हो जाने से इनके वारिस अप्रार्थी सं. 2 व 3 को पक्षकार बनाये गये हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. एक में वर्णित आराजी में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में उदा पुत्र मोड़ा जाति जटिया सा. उदाखेड़ा खातेदार दर्ज है जिसका इन्द्राज दुरू[illegible] पुत्र गोदा जाति मेघवाल सा. उदाखेड़ा खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम[illegible] जारी किये गये। बाद [illegible]तामील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध दिनांक 18/11/2024 को कार्यवाही एकतरफा की गई। अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार ने पूर्व में प्रस्तुत जबाव दिनांक 20.02.2025 अनुसार ही निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:46 IST
Reason: SelfAttested

साबिक जमाबंदी के आधार पर उदा पिता मोड़ा की बजाय उदा पिता गोदा मेघवाल दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा के खाता सं. 43 से दर्ज आ.सं. 153 रकबा 0.24 है., आ.सं. 154 रकबा 0.21 है., आ.सं. 159 रकबा 0.18 है. किता 3 रकबा 0.63 है. में प्रार्थी के पिता का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में उदा पुत्र मोड़ा जाति जटिया सा. उदाखेड़ा के बजाय उदा पुत्र गोदा जाति मेघवाल सा. उदाखेड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:46 IST
Reason: SelfAttested